8/4/26 पत्रावली पेश हुई। प्रा० पत्र O 23 R 1 CPC व 209 RT Act व दर नाम हटाने करने बाबत का पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रा० पत्र O23R1 CPC व 209 RT Act व दर नाम हटाने बाबत पर उत्तरदाता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उत्तरदाता वकील की दलीलों से प्रा० पत्र O23R1 CPC व 209 RT Act स्वीकार किया जाकर धारा 53 RT Act बटवारे की कार्यवाही निरस्त किये की अनुमति प्रदान की जाती है एवं प्रा० पत्र दर नाम हटाने बाबत का स्वीकार किया जाकर [illegible] 5 प्रति का नाम [illegible] किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। फलस्वरूप डिग्री किया जाता है। विधिवत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] के बाद [illegible] [illegible] दफ्तर हो [illegible] किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली [illegible]

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

दिनेश सिंह पुत्र अमरसिंह आयु साल जाति राजपूत निवासी हाडीरानी के बाग के पास बिचपूरी रोड करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. घनश्याम सिंह आयु साल } पुत्रान किशोरसिंह
2. केशवसिंह आयु साल } पुत्रान किशोरसिंह
3. बसन्ती आयु साल } पुत्रीयान किशोरसिंह
4. भगवती आयु साल } पुत्रीयान किशोरसिंह

(1 ता 4) जातियान राजपूत नि0 मेलागेट बाहर सोलंकी बस्ती करौली तह व जिला करौली

5. पांची पत्नी स्व0 किशोरसिंह आयु साल (हजफ)
6. चतरसिंह आयु साल
7. अंगदसिंह आयू साल
8. लाखनसिंह आयु साल
9. नारायण सिंह आयु साल

(6 ता 9) पुत्रान अमरसिंह जाति राजपूत नि0 हाडीरानी के बाग के पास बिचपुरी रोड करौली तह व जिला करौली

10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली राज0

–प्रतिवादीगण

दावा धारा 53, 88, 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 12/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री अब्दुल लतीफ, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री विष्णु चंद बंसल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी व प्रतिवादी नंबर 6 ता 9 को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 8685, 8686, 8751, 8752, 8753/1 कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 10 कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज 1/2 हिस्सा के प्रतिवादी नंबर 1 ता 4 के हक में जमाबंदी संवत 2076–79 में दर्ज हिस्सानुसार बदस्तूर रहेगें। वादी इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज अमल कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी नंबर 10 को आदेश दिये जाते है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज अमल करें। प्रतिवादी नंबर 1 ता 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन–वय नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 6/4/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

[signature]

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी करौली (राज.))

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
करौली

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी करौली (राज.))

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0नं0:–12/25 तारीख रजु:–20.03.2025

उनवान

दिनेश सिंह पुत्र अमरसिंह आयु साल जाति राजपूत निवासी हाडीरानी के बाग के पास बिचपूरी रोड करौली तहसील व जिला करौली राज0

–**वादी**

बनाम

1. घनश्याम सिंह आयु साल
2. केशवसिंह आयु साल

पुत्रान किशोरसिंह जातियान राजपूत नि0 मेलागेट बाहर सोलंकी बस्ती करौली तह व जिला करौली

3. बसन्ती आयु साल
4. भगवती आयु साल

पुत्रीयान किशोरसिंह

5. पांची पत्नी स्व0 किशोरसिंह आयु साल (हजफ)
6. चतरसिंह आयु साल
7. अंगदसिंह आयू साल
8. लाखनसिंह आयु साल
9. नारायण सिंह आयु साल

पुत्रान अमरसिंह जाति राजपूत नि0 हाडीरानी के बाग के पास बिचपुरी रोड करौली तह व जिला करौली

10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली राज0

–**प्रतिवादीगण**

दावा धारा 53, 88, 188 आर टी एक्ट

–::**निर्णय**::– दिनांक :– 8/4/26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 8685 रकवा 1 वीघा 5 विस्वा, खसरा नं0 8686 रकवा 1 वीघा, खसरा नंबर 8751 रकवा 1 वीघा 15 विस्वा, खसरा नं0 8752 रकवा 17 विस्वा, खसरा नं0 8753/1 रकवा 13 विस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 5 वीघा 10 विस्वा ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली जिला करौली राज0 में स्थित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के पर पितामह व प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के पितामह व ससुर विरजासिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत निवासी करौली के समय की पुश्तैनी आराजीयात है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का 1/2 हिस्सा है एवं प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 का 1/2 हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 भूमि के 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 1/2 हिस्सा भूमि पर संयुक्त रूप से परपितामह विरजा के समय से

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

काबिज काश्त बतौर खातेदार है सबूतन नकल जमाबंदी संवत् 2015 व संवत् 2023 से 2026 बाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। सजरा मद नंबर 2 में दर्ज है। प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के पिता व पति ने विरजासिंह पुत्र नाथुसिंह परपितामह वादीगण के स्वर्गवास संवत् 2023 से 2026 के मध्य हो जाने के बाद वादीगण के पितामह भूरसिंह व पिता अमरसिंह एवं वादीगण से छिपाते हुयुआने हक में नामान्तकरण संख्या 207 दिनांक 6.7.71 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के अपने हक में अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज करा लिये है। एवं किशोरसिंह के 15 वर्ष पूर्व फौत होने के बाद प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 में पिता वादी व वादी से छिपाते हुये अपने हक में अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज करा लिये है। जिसकी जानकारी वादीगण को नकल जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 लेने पर हुयी है तब वादीगण ने प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 से वादीगण व प्रतिवादी नंबर 6 ता 9 के हक में 1/2 हिस्से के खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कराकर 1/2 हिस्से का बंटवारा कराने की कहां तो प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 टालमटोल करते रहते था वादी के हक में नही करवाया और दिनांक 7.3.2025 को दीगर व्यक्तियों को रहन, वय करने एवं वादी को 1/2 हिस्सा भूमि से जबरन बेदखल करने की कहने पर वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। वादग्रस्त आराजीयात दर्ज वाद पत्र मद नंबर 1 वादीगण के पूर्वज पर पितामह विरजासिंह पुत्र नाथुसिंह के समय की पैतृक आराजीयात है जिसमें वादी व प्रतिवादी नंबर 6 ता 9 का 1/2 हिस्सा है प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 का 1/2 हिस्सा है वादीगण व प्रतिवादीगण इसी अनुसार भूमि को संयुक्त रूप से काश्त कर काबिज चले आ रहे है मृतक किशोरसिंह के हक में एवं किशोरसिंह के मरने के बाद प्रतिवादी नं0 1 ता 5 व के पिता व पति किशोरसिंह के हक में एवं किशोरसिंह के मरने हुये अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज हक हकूक वादी व प्रतिवादी नं0 6 ता 9 पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन है और बाध्यकारी नही है। वादी व प्रतिवादी नंबर 6 ता 9 वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है काबिज है और अपने हक में 1/2 हिस्से के खातेदारी घोषणा कराने एवं अपने हक में 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल कराने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजीयात का अब वादी का व

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रतिवादी नं0 6 ता 9 का 1/2 हिस्सा भूमि को प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के साथ संयुक्त काश्त करना संभव नही रहा है संयुक्त काश्त में प्रतिवादी नं0 1 ता 5 व्यवधान पैदा करने पर आमादा है और भूमि से उचित फसल लाभ प्राप्त करने में परेशानी पैदा करने लग गये है इसलिये वादीगण अपने हिस्से की भूमि का प्रतिवादी नं0 1 ता 5 व प्रतिवादी नं0 6 ता 9 से बंटवारा कराने का अधिकारी है और बंटवारा भूमि पर वाहिद कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के दिन में बेईमानी आ चुकी है और अपने हक में हुये अनाधिकार इन्द्राज खातेदारी के सवव वादग्रस्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन, वय करने पर उतारू हो रहे है। वादी व प्रतिवादी नं0 6 ता 9 के 1/2 हिस्सा भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है और दिनांक 21.09.2024 से वादग्रस्त भूमि को दीगर व्यक्तियों का विक्रय करने की बातचीत प्रारम्भ कर दी है। यदि प्रतिवादी नं0 1 ता 5 अपने मकसद मे कामयाब हो गये तो प्रतिवादी नं0 1 ता 5 की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक वादीगण पर भारी आघात होगा और वादीगण को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी इसलिये वादीगण प्रतिवादी नं0 1 ता 5 व 8 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकार है। विनाय मुखासमत दावा दिनांक 7.3.2025 को वादीगण को प्रतिवादी नं0 1 ता 5 व उनके पिता किशोरसिंह के हक में हुये अनाधिकार खातेदारी के इन्द्राज को सही कराने की कहने तथा उसी दिन वादीगण द्वारा प्रतिवादी नं0 1 ता 5 से वादी व प्रतिवादी नं0 6 ता 9 के हक में 1/2 हिस्से के खातेदारी इन्द्राज कराने एवं भूमि का बंटवारा कराने की कहने पर प्रतिवादी नं0 1 ता 5 द्वारा साफ इंकार करने व बेचने की धमकी देने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुयी है अतः दावा अन्दर मियाद पेश है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी नंबर 7 ता 9 द्वारा इकबाली जबाव दावा पेश किया गया है एवं प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 व 6 ,10 के विरूद्व दिनांक 4.7.25 को एवं प्रतिवादी नंबर 4 व के विरूद्व दिनांक 5.1.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। इसलिए प्रकरण में तनकी कायम नहीं की गई।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

साक्ष्य वादीगण ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी दिनेश सिंह पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2076–79 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–15, नकल जमाबंदी संवत 2023–26 प्रदर्श–3, वोटर लिस्ट सन् 1961 भाग संख्या 27 कस्बा करौली की फोटोप्रति पेश की है एवं गवाह पीडब्ल्यू–2 अमरसिंह के मौखिक बयान लेखबद्व कराये है। साक्ष्यवादीगण समाप्त कर बंद की गई।

साक्ष्य प्रतिवादीगण में प्रतिवादी डीडब्ल्यू–1 लाखन सिंह के बयान लेखबद्व कराये है एवं वोटर लिस्ट सन् 1980 प्रदर्श–4 एवं सन् 1990 प्रदर्श–5 प्रस्तुत की है एवं मौखिक साक्ष्य में गवाह अंगद सिंह डीडब्ल्यू–2 के बयान लेखबद्व कराये है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादी नंबर 7 ता 9 सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 8685 रकवा 1 वीघा 5 विस्वा, खसरा नं0 8686 रकवा 1 वीघा, खसरा नंबर 8751 रकवा 1 वीघा 15 विस्वा, खसरा नं0 8752 रकवा 17 विस्वा, खसरा नं0 8753/1 रकवा 13 विस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 5 वीघा 10 विस्वा ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली जिला करौली राज0 में स्थित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के पर पितामह व प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के पितामह व ससुर विरजासिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत निवासी करौली के समय की पुश्तैनी आराजीयात है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का 1/2 हिस्सा है एवं प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 का 1/2 हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 भूमि के 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 1/2 हिस्सा भूमि पर संयुक्त रूप से परपितामह विरजा के समय से काबिज काश्त बतौर खातेदार है सबूतन नकल जमाबंदी संवत् 2015 व संवत् 2023 से 2026 बाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। सजरा मद नंबर 2 में दर्ज है। प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के पिता व पति ने विरजासिंह पुत्र नाथुसिंह परपितामह वादीगण के स्वर्गवास संवत् 2023 से 2026 के मध्य हो जाने के बाद वादीगण के पितामह भूरसिंह व पिता अमरसिंह एवं वादीगण से छिपाते हयुआने हक में

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नामान्तकरण संख्या 207 दिनांक 6.7.71 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के अपने हक में अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज करा लिये है। एवं किशोरसिंह के 15 वर्ष पूर्व फौत होने के बाद प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 में पिता वादी व वादी से छिपाते हुये अपने हक में अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज करा लिये है। जिसकी जानकारी वादीगण को नकल जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 लेने पर हुयी है तब वादीगण ने प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 से वादीगण व प्रतिवादी नंबर 6 ता 9 के हक में 1/2 हिस्से के खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कराकर 1/2 हिस्से का बंटवारा कराने की कहां तो प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 टालमटोल करते रहते था वादी के हक में नही करवाया और दिनांक 7.3.2025 को दीगर व्यक्तियों को रहन, वय करने एवं वादी को 1/2 हिस्सा भूमि से जबरन बेदखल करने की कहने पर वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। वादग्रस्त आराजीयात दर्ज वाद पत्र मद नंबर 1 वादीगण के पूर्वज पर पितामह विरजासिंह पुत्र नाथुसिंह के समय की पैतृक आराजीयात है जिसमें वादी व प्रतिवादी नंबर 6 ता 9 का 1/2 हिस्सा है प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 का 1/2 हिस्सा है वादीगण व प्रतिवादीगण इसी अनुसार भूमि को संयुक्त रूप से काश्त कर काबिज चले आ रहे है मृतक किशोरसिंह के हक में एवं किशोरसिंह के मरने के बाद प्रतिवादी नं0 1 ता 5 व के पिता व पति किशोरसिंह के हक में एवं किशोरसिंह के मरने हुये अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज हक हकूक वादी व प्रतिवादी नं0 6 ता 9 पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन है और बाध्यकारी नही है। वादी व प्रतिवादी नंबर 6 ता 9 वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है काबिज है और अपने हक में 1/2 हिस्से के खातेदारी घोषणा कराने एवं अपने हक में 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल कराने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजीयात का अब वादी का व प्रतिवादी नं0 6 ता 9 का 1/2 हिस्सा भूमि को प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के साथ संयुक्त काश्त करना संभव नही रहा है संयुक्त काश्त में प्रतिवादी नं0 1 ता 5 व्यवधान पैदा करने पर आमादा है और भूमि से उचित फसल लाभ प्राप्त करने में परेशानी पैदा करने लग गये है इसलिये वादीगण अपने हिस्से की भूमि का प्रतिवादी नं0 1 ता 5 व प्रतिवादी नं0 6 ता 9 से बंटवारा कराने का अधिकारी है और बंटवारा भूमि पर वाहिद कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी नं0

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

1 ता 5 के दिन में बेईमानी आ चुकी है और अपने हक में हुये अनाधिकार इन्द्राज खातेदारी के सबब वादग्रस्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन, बय करने पर उतारू हो रहे है। वादी व प्रतिवादी नं0 6 ता 9 के 1/2 हिस्सा भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है और दिनांक 21.09.2024 से वादग्रस्त भूमि को दीगर व्यक्तियों का विक्रय करने की बातचीत प्रारम्भ कर दी है। यदि प्रतिवादी नं0 1 ता 5 अपने मकसद मे कामयाब हो गये तो प्रतिवादी नं0 1 ता 5 की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक वादीगण पर भारी आघात होगा और वादीगण को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी इसलिये वादीगण प्रतिवादी नं0 1 ता 5 व 8 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकार है। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी नंबर 7 ता 9 का बहस में कथन है कि हिस्सानुसार खातेदारी घोषणा व बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादी नंबर 7 ता 9 का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–2 पेश की है। जिसमें भूमि वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 ता 9 के पितामह व परपितामह बिरजा पुत्र नाथूसिंह की खातेदारी में दर्ज है। बिरजा के मरने के बाद वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी विरासन नामांतकरण नंबर 266 दिनांक 6.7.71 के द्वारा प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2023–26 में दर्ज हुई है। जिसमें वादीगण के पितामह भूरसिंह पुत्र बिरजा सिंह का नाम नामांतकरण में दर्ज होने से रह गया है। प्रतिवादीगण के पिता किशोर के हक में बिरजा के मरने के बाद इन्द्राज होने से एवं किशोर के मरने के बाद नामांतकरण नंबर 4065 दिनांक 19.2.24 से भूमि की खातेदारी प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के हक में दर्ज हुई है और उसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 द्वारा खसरा नंबर 8687 लगायत 8690 का बेचान गिर्राज लाल पुत्र रघुनाथ मीना निवासी दीपपुरा को कर दिया गया है। जिसके बाबत वादीगण ने अपना वाद दिनांक 6.3.2026 को विड्रा किया गया है। शेष आराजीयात वादीगण के परपितामह बिरजा पुत्र नाथूसिंह के समय की

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

पुश्तैनी भूमि होने से वादी व प्रतिवादी नंबर 6 ता 9 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी संयुक्त है। प्रतिवादी नंबर 1, 3 व 4 द्वारा खसरा नंबर 8685, 8686 में से अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग प्रतिवादी नंबर 2 को कर दिया गया है एवं प्रतिवादी नंबर 5 की मृत्यु हो चुकी है जिसका नाम दावे से हजफ किया जा चुका है। जिसके वारिसान प्रतिवादी नंबर 1 ता 4 है। वादी व प्रतिवादी नंबर 6 ता 9 को आराजी खसरा नंबर 8685, 8686, 8751, 8752, 8753/1 कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली के 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 27.03.2026 को बंटवारे की दादरसी विड्रा किये जाने का आवेदन पेश किया जो दिनांक 6.4.2026 को स्वीकार किया जाकर धारा 53 आर टी एक्ट बंटवारा की दादरसी विड्रॉ किये जाने के आदेश दिये जा चुके है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी व प्रतिवादी नंबर 6 ता 9 को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 8685, 8686, 8751, 8752, 8753/1 कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 10 कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज 1/2 हिस्सा के प्रतिवादी नंबर 1 ता 4 के हक में जमाबंदी संवत 2076–79 में दर्ज हिस्सानुसार बदस्तूर रहेगें। वादी इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज अमल कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी नंबर 10 को आदेश दिये जाते है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज अमल करें। प्रतिवादी नंबर 1 ता 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन–वय नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/4/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)